

(स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०- 1/अनु० जा०/ज०जा०(परी०शु०)-15-66-01/2012- 150

प्रेषक,

प्रियंका रानी, भा०प्र०से०
निदेशक।

सेवा में,

जिला अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण पदाधिकारी,
पटना।

पटना, दिनांक:- 16/09/2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत उपबंधित राशि से अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के परीक्षा शुल्क से छूट के फलस्वरूप हुई क्षति की बकाये एवं वर्तमान वर्ष की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध राशि में से ₹19,50,000/- (उन्नीस लाख पचास हजार रु०) मात्र राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं को परीक्षा शुल्क से दी गई छूट के फलस्वरूप संस्थाओं को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उपलब्ध राशि में से कुल ₹30,00,000/- (तीस लाख रु०) मात्र की राशि की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-49 दिनांक-18.05.2026 द्वारा प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति के आलोक में कुल ₹19,50,000/- (उन्नीस लाख पचास हजार रु०) मात्र की राशि अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के परीक्षा शुल्क से छूट के फलस्वरूप हुई क्षति की बकाये एवं वर्तमान वर्ष की राशि की प्रतिपूर्ति के रूप में आवंटित की जाती है।

2-भारित आय-व्यय की राशि मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण- उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-मांग संख्या-44-उपशीर्ष-0001-छात्रवृत्ति और वृत्तियां-विषय शीर्ष-0001.34.01-छात्रवृत्ति /वजीफा विपत्र कोड-44-2225022770001 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना होंगे।

4- इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, पटना होंगे।

5- जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक 2561 दिनांक 17-4-98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे। वे पूर्व में आवंटित राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर उससे संतुष्ट होकर तथा मांग की जांच करने के पश्चात ही राशि विमुक्त करेंगे। साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को भेजा जायेगा।

6- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के आवंटन की सूचना दी जा रही है।

7- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन


(प्रियंका रानी)

निदेशक।

ज्ञापांक-1/अनु० जा०/ज०जा० (परी०शु०)-15-66-01/2012-150 पटना-15, दिनांक-16/09/2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार,बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सचिव कोषांग के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/प्रमंडलीय उप निदेशक, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/निदेशक(शैक्षणिक), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/आई० टी० मैनेजर अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक।